बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)

अधिघोषणा -1851/रा०

15/डी0 एल0 ए0-कैमूर (आवास)-2/13/1851/रा० पटना, दिनांक 19-07-13/

संख्याः-

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव **सिकठी** परगना- **चैनपुर** थाना नं०- **498** थाना-**.भभुआ** जिला- **कैमूर (भभुआ)** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात- **जिला पदाधिकारी के आवास** निर्माण के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित हैं, इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गॉव- **सिकठी** थाना नं०- **498** के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मान माप से कमी वेश- **12.24 एकड़** होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है-----

सर्वे खेसरा संख्या :- **अंश खेसरा नं०. 2158, 2159, 2165, 2168, 2171, 2172, 2193, 2192, 2191, 2189, 2187, 2185, 2196 पूर्ण खेसरा 2166, 2167, 2186, 2195, 2194, 2261, 2263, 2262, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268.**

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार से है:---

उत्तरः- **अंश खेसरा नं० 2158, 2196, पूर्ण खेसरा 2260**

पूरबः- **सिवाना बबुरा नं० 496**

दक्षिणः- **सिवाना बबुरा नं० 496**

पश्चिमः- **अंश खेसरा नं० 2185, 2187, 2189, 2191, 2192, 2193, 2172, 2171, 2168, 2165, 2159**

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला,लोहा-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा-6 और अधिनियम, 18,1885 की धारा-3 के खण्ड(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, कैमूर(भभुआ) में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरकार के ~~उप~~ सचिव। अवर सचिव

12.07.13

जिला भूमि अर्जन पदा०, **अपर समाहर्त्ता** **समाहर्त्ता**

ज्ञापांक -1851/रा० **पटना,** **दिनांक** 19-07-13/

प्रतिलिपिः- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को स्थानीय भाषा के दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने और प्रकाशित संस्करण को इस कार्यालय एवं जिला भूमि अर्जन कार्यालय,. **कैमूर** को यथा शीघ्र भेजने हेतु,

2-प्रतिलिपिः- उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, **कैमूर (भभुआ)**को जिला गजट के अगले साधारण/असाधारण अंक में प्रकाशित कराने और इसकी (10) दस अतिरिक्त प्रतियां इस कार्यालय एवं जिला भूमि अर्जन कार्यालय, **कैमूर (भभुआ)** को प्रेशित करने हेतु

3-प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, **, कैमूर (भभुआ)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

4-प्रतिलिपिः- जिला भू-अर्जन पदा०, **कैमूर(भभुआ)** को सूचनार्थ प्रेशित।

17/7/13

सरकार के ~~उप~~ सचिव। अवर